Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No. CSJMU/AR(P&P)/ 1719(1) /2012

Dated : 09.08.2012

eY; #0 200-00½nks lkS ek=½

d¡Vhu gsrq fufonk&i=

विश्वविद्यालय परिसर में ठेके पर **कैन्टीन** चलाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 22.08.2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक, जिन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में कैन्टीन/मेस/कैटरिंग चलाने का अनुभव हो उनसे मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर "**कैन्टीन हेतु निविदा**" लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित धनराशि रू0 200/– जमा कर वि0वि0 कैश काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 50,000/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो कि 'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर' के पक्ष में कानपुर में देय हो, के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार करना संभव नही होगा। अपेक्षित नियम एवं शर्ते निविदा–पत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

निविदा – प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है –

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. ट्रेड टैक्स नं0. : वैधता की अवधि :
5. टैन नं0 :
6. खाद्य विभाग का पंजीकरण नं0 : वैधता की अवधि :
7. कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
8. निविदा पत्र क्रय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 क्रम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
9. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 क्रम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
10. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्ते पूर्ण रूप से स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम एवं पता :

दूरभाष नं0 :
पैन नं0 :

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

कैन्टीन हेतु नियम एवं शर्ते

1. विश्वविद्यालय परिसर में जलपान गृह **(कैन्टीन)** संचालन हेतु **रु0 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र)** की धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट ''वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर'' के नाम कानपुर में देय मान्य होगा। प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. **''केवल वह ही ठेकेदार निविदा में हिस्सा ले सकेंगे जो कि खाद्य विभाग एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा में विचार करना संभव नहीं होगा।''**
3. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संदर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
4. ठेकेदार का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
5. विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा ठेका स्थानान्तरण करने का अधिकार न होगा।
6. ठेकेदार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धन किसी भी व्यक्ति से वसूल नहीं किया जायेगा। यदि अधिक धनराशि वसूल करने की शिकायत प्राप्त होगी तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उसे जांच कराकर ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. किसी भी प्रकार विवाद होने पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम रूप से ठेकेदार को मान्य होगा तथा किसी भी दशा में वाद कानपुर से बाहर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता।
8. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि कोई भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
9. कैन्टीन चलाने हेतु आवश्यक विद्युत व्यय भार फर्म को नियमानुसार प्रतिमाह विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर पर नगद जमा करना होगा।
10. ठेका स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
11. ठेकेदार को प्रथम पक्ष के रूप में पर निश्चित अवधि में अनुबंध करना होगा।
12. **संलग्न सूची में उल्लिखित दरों के अनुसार ही सामग्री का विक्रय किया जाना अनिवार्य है।**
13. ठेके पर निर्धारित समय के मध्य विचलन/छोड़ने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
14. ठेकेदार को कैन्टीन के बाहर बोर्ड में समस्त सामग्रियों की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
15. कैन्टीन की साफ–सफाई का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। साफ–सफाई की स्थिति संतोषजनक न होने पर विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना किया जायेगा।
16. **दरें सीव्ड लिफाफे में अलग से प्रस्तुत की जायें।**

निविदादाता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
मो0 नं0–

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कैन्टीन में बेचे जाने वाली सामग्रियों की रेट लिस्ट

क्रमांक	सामग्री	दर
1.	चाय 150ml	04.00 प्रति चाय
2.	डिप टी 150ml	05.00 प्रति चाय
3.	हॉट कॉफी 150ml	10.00 प्रति कॉफी
4.	कोल्ड कॉफी 200ml	20.00 प्रति कॉफी
5.	वेज सैंण्डविच चटनी सहित	15.00 प्रति पीस
6.	वेज कटलेट्स चटनी सहित (100gm वजन)	08.00 प्रति पीस
7.	ब्रेड पकौड़ा चटनी सहित	06.00 प्रति पीस
8.	पावभाजी	25.00 प्रति प्लेट
9.	फिंगर चिप्स (150gm वजन)	30.00 प्रति प्लेट
10.	समोसा (100gm वजन का)	03.00 प्रति पीस
11.	समोसा विद छोला (2पीस)	12.00 प्रति प्लेट
12.	छोला राईस (फुल प्लेट)	25.00 प्रति प्लेट
13.	आलू पराठा (फुल साइज)	25.00 दो पीस
14.	टोस्ट बटर (04 पीस)	15.00 दो पीस
15.	स्वीट बन मक्खन	10.00 प्रति पीस
16.	वेज बर्गर	12.00 प्रति पीस
17.	मैगी (प्लेन) 100gm	20.00 प्रति प्लेट
18.	वेज मैगी 100gm	25.00 प्रति प्लेट
19.	क्रीम रोल (फुल साइज)	08.00 प्रति पीस
20.	चाउमीन (फुल प्लेट)	35.00 प्रति प्लेट
21.	चाउमीन (हाफ प्लेट)	20.00 प्रति प्लेट
22.	फ्राइड राइस (फुल प्लेट)	35.00 प्रति प्लेट
23.	फ्राइड राइस (हाफ प्लेट)	20.00 प्रति प्लेट
24.	मसाला डोसा	25.00 प्रति प्लेट
25.	मसाला डोसा (स्पेशल)	35.00 प्रति प्लेट
26.	इडली (2 पीस)	20.00 प्रति प्लेट
27.	सांभर बड़ा (2 पीस)	30.00 प्रति प्लेट
28.	छोला भटूरा (2 पीस)	35.00 प्रति प्लेट
29.	पूड़ी सब्जी (04 पीस)	15.00 प्रति प्लेट
30.	जूस (ठण्डा)	प्रिंट रेट
31.	कोल्ड ड्रिंक (ठण्डा)	प्रिंट रेट
32.	मिनरल वाटर (ठण्डा)	प्रिंट रेट

नोट : 1. पैक्ड सामग्री अंकित मूल्य पर बेची जायेगी।

2. एक्सपाइरी डेट की सामग्री कैन्टीन में उपलब्ध होने पर फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा काली सूची में डालते हुए सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No. CSJMU/AR(P&P)/ 1719(2) /2012 Dated : 09.08.2012

eY; #0 200-00¼nks lkS ek=½

i¡:"k Nk=kokl e¡ e¡l l¡pkyu g¡r¡ fufonk&i¡i=

विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित **पुरूष छात्रावास** की मेस को ठेके पर चलाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 22.08.2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक, जिन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में मेस चलाने का अनुभव हो, उनसे मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर "**पुरूष छात्रावास की मेस संचालन हेतु निविदा**" लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित धनराशि रू0 200/– जमा कर वि0वि0 के कैश काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा पत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 50,000/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो कि 'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर' के पक्ष में कानपुर में देय हो, के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार करना संभव नही होगा। अपेक्षित नियम एवं शर्तें निविदा–पत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

निविदा – प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. ट्रेड टैक्स नं0. : वैधता की अवधि :
5. टैन नं0 :
6. खाद्य विभाग का पंजीकरण नं0 : वैधता की अवधि :
6. कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
7. निविदा पत्र कय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)

8. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)

9. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्ते पूर्ण रूप से स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर :
आवेदक का नाम एवं पता :

दूरभाष नं0 :
पैन नं0 :

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

i/:"k Nk=kokl e/ मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पुरूष छात्रावास में मेस संचालन हेतु **रु0 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र)** की धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट ''वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर'' के नाम मान्य होगा। प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. **''केवल वह ही ठेकेदार निविदा में हिस्सा ले सकेंगे जो कि खाद्य विभाग एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा में विचार करना संभव नहीं होगा।''**
3. फर्म को कार्य करने के लिए रु0 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर विश्वविद्यालय एवं ठेकेदार के बीच एक अनुबन्ध कराया जायेगा।
4. फर्म द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित गुणवत्ता के आधार पर खाना देना होगा। ठेकेदार द्वारा मेस कमेटी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ एवं स्वच्छ सामग्रियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी तथा वार्डेन के सुझावों/निर्देशों के अनुसार ठेकेदार सफाई पर विशेष ध्यान देगा तथा इस पर जो व्यय होगा वह फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। संतोषजनक सफाई न होने पर वार्डेन/मेस समिति उचित दण्ड की अनुशंसा करेगी।
5. ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन अप्रयुक्त तथा अवशेष भोजन सामग्री का निस्तारण (डिस्पोजल) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के भुगतान से उचित दण्ड की कटौती की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय फर्म को खाना बनाने के लिए रसोई घर के लिए जगह, डाइनिंग हॉल, बिजली एवं पानी की आपूर्ति के साथ उपलब्ध करायेगा। यदि उपलब्ध कराये गयी जगह एवं अन्य किसी सामग्री की टूट–फूट होती है तो वार्डेन की संस्तुति के अनुसार दण्डित की गयी धनराशि की कटौती फर्म को दिये जाने वाले भुगतान से कर ली जायेगी।
7. यदि फर्म पानी अथवा बिजली का दुरूपयोग करता है तो उसको वार्डेन की संस्तुति पर दण्ड के रूप में 5000/– जुर्माना लगाया जायेगा। वह केवल खाना बनाने अथवा कार्य के समय तक ही उक्त का उपयोग करेगा अन्यथा की स्थिति में फर्म द्वारा उसका अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।
8. छात्रावास की मेस कमेटी ठेकेदार को भोजन हेतु मेन्यू बनाकर उपलब्ध करायेगी। जोकि प्रायः एक महीने के लिए निर्धारित होगा। किंतु मेस कमेटी को यह अधिकार रहेगा कि यदि वह चाहे तो उससे पहले भी मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। मेन्यू का नमूना साथ में संलग्न है।
9. यह ठेका शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए है, जो अगले सत्र के टेण्डर निर्धारण तक मान्य होगा तथा ठेकेदार को इन्हीं शर्तों पर कार्य करने की बाध्यता होगी।
10. ठेकेदार को सर्व करने हेतु 20 छात्रों पर कम से कम एक अटेंडेंट/मेस वर्कर रखना होगा। साथ ही मेस के सुचारू से संचालन हेतु एक मेस मैनेजर, एक कुक तथा एक कुक सहायक भी रखना आवश्यक है। **मेस में सिर्फ पुरूष वर्कर होंगे, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष की बीच होनी चाहिए। पुरूष छात्रावास में कोई भी महिला वर्कर से कार्य नहीं लिया जायेगा।**
11. ठेकेदार एवं मेस वर्करों का कार्य एवं व्यवहार छात्रों, वार्डेन एवं सम्बन्धित कर्मचारियों प्रति संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
12. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो एक सप्ताह की नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त करते हुए जमानत के तौर पर जमा सुरक्षा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री अस्वच्छ एवं असुरक्षित होने तथा मेस समिति द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप न होने की संस्तुति करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा एक सप्ताह की नोटिस के साथ ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। मेस समिति एवं वार्डेन द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुति अन्तिम एवं मान्य होगी।
14. वार्डेन की अनुमति के बिना किसी छात्र के कमरे में खाद्य एवं अन्य सामग्री नहीं भेजी जायेगी।

15. ठेकेदार द्वारा रसोई घर एवं खाद्य सामग्री की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा प्रयोग में लाये जाने वाले मसाले अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए एवं साफ, ताजा एवं स्वच्छ खाना ही सर्व किया जायेगा। किसी भी प्रकार का पका हुआ खाना सुरक्षित करके नहीं रखा जायेगा और न ही उसको दोबारा खाने में प्रयोग में लाया जायेगा।

16. यदि ठेकेदार मेस समिति अथवा वार्डेन के निर्देशों/सुझावों को पालन नहीं करता है तो यह नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए ठेकदार को आर्थिक रूप से दण्डित भी जायेगा।

17. ठेकेदार द्वारा रसोई घर में लगाये गये वर्कर एवं कुक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उनका जिला अस्पताल से नियमित रूप से चेक–अप कराया जायेगा। यदि कोई भी वर्कर शारीरिक रूप से अवस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसके स्थान पर कोई अन्य वर्कर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा तुरन्त की जायेगी।

18. ठेकेदार द्वारा मेस के वर्करों को निर्धारित यूनिफार्म दी जायेगी जो निम्नवत् होगी :–

(क) मेस के वर्कर हेतु शर्ट एवं ट्राउजर।

(ख) खाना बनाते समय कूक के लिए अपरन एवं टोपी।

(ग) मेस के मैनेजर एवं सुपरवाइजर हेतु सफेद शर्ट एवं ट्राउजर।

19. संलग्न मेन्यू को सीजनल सब्जियों तथा मार्केट में उपलब्धता के दृष्टिगत मेस समिति एवं वार्डेन ठेकेदार के साथ बातचीत कर परिवर्तित किया जा सकता है।

20. छात्रावास में चाय/स्वल्पहार/भोजन आदि देने का समय निम्नवत् होगा :–

Break Fast	07:30 am to 9:30 am
Lunch	12:30 noon to 2:30 pm
Evening Tea	05:00 pm to 6:00 pm
Dinner	08:00 pm to 10:00 pm

यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समय सारिणी को परिवर्तित करना पड़ा तो उक्त परिवर्तन मेस समिति एवं वार्डेन के सुझाव के अनुसार होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।

21. छात्रावास में बीमार पड़ने वाले छात्र के लिए मेस ठेकेदार "सिक डाइट" उनके कक्ष में उपलब्ध करायेंगे। यदि बीमार छात्र विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती है तो भोजन स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाना भी ठेकेदार का दायित्व होगा, जिसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। 'सिक डाइट' मेस समिति/चिकित्सक/वार्डेन के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

22. ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय में एक मुस्त मासिक भुगतान के लिए पत्रावली व्यवहरित की जायेगी, जो कि मेस समिति तथा वार्डेन द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत होनी चाहिए।

23. प्रति छात्र हेतु भोजन व्यवस्था से सम्बन्धित प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत यूटिलिटी चार्ज के रूप में मेस ठेकेदार के देयक से कटौती की जायेगी।

24. प्रत्येक भोजन के बाद मेस एवं बर्तनों को गर्म पानी तथा डिटर्जेन्ट/साबुन से साफ करना अनिवार्य होगा।

25. **मेस का भुगतान स्टूडेंट की वास्तविक पंजीकृत संख्या के 90 प्रतिशत छात्रों को आधार मानकर प्रत्येक माह की समाप्ति पर किया जायेगा। सत्रान्त पर एक माह का अवकाश रहेगा, जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा।**

26. ठेकेदार को अपने द्वारा लगाये गये समस्त कर्मचारियों/मेस वर्करों का विवरण फोटोग्राफ सहित वार्डेन तथा छात्रावास के आफिस मे भी जमा करना होगा।

27. यदि ठेकेदार द्वारा लगाये गये किसी भी मेस वर्कर/कर्मचारी के साथ दुर्घटना के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे प्रकरण में छात्रावास तथा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

28. मेसे में फूड प्वाइजनिंग सम्बन्धी कोई भी घटना घटती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा मेडिकल ट्रीटमेंट में हुआ खर्च सम्बन्धित मेस ठेकेदार से वसूला जायेगा साथ ही ऐसी घटना हेतु मेस समिति/काउन्सिल ऑफ वार्डेन द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना किया जायेगा।

29. ठेकेदार ऐसे कर्मचारी को कार्य करने हेतु नहीं रखेगा जिसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसके विरूद्ध कोई भी पुलिस केस चल रहा हो।

30. मेस में शराब या कोई भी मादक पदार्थ पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा।

31. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम विभाग/शासन के नियमों का पालन करना होगा। यदि उक्त हेतु कोई भी आपत्ति श्रम विभाग/शासन से उठायी जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

32. नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु ठेकेदार को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

33. विश्वविद्यालय को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी निविदा अथवा निविदाओं को बिना किसी कारण के किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

34. किसी भी दशा में उक्त ठेका किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

35. प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री ब्रॉण्डेड एवं गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसमें कुछ निम्नलिखित है :–

(1) मक्खन (अमूल/मदर डेरी/पराग)।

(2) जैम (किसान/टॉप्स/सफल)।

(3) रिफाइन्ड तेल (धारा/सनड्रॉप/डालडा और अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों)

(4) चावल अच्छी गुणवत्ता वाला बासमती जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(5) गेहूं का आटा जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(6) कॉफी (नेसकैफे/ब्रू)।

(7) चाय ब्राण्डेड होनी चाहिए जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(8) केचअप तथा अचार (टॉप्स/किसान)।

(9) दूध (पराग/अमूल/नमस्ते इण्डिया)

(10) आयोडीनयुक्त नमक तथा मसाला (एम0डी0एच0/गोल्डी/एवरेस्ट)।

(11) बेसन (राजधानी/शक्तिभोग) तथा अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों।

(12) यदि उपर्युक्त दिये गये ब्राण्ड समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उसकी जगह कौन सा ब्राण्ड प्रयोग में लाया जायेगा यह मेस समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

36. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संदर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

37. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

38. ठेके पर निर्धारित समय के मध्य विचलन/छोड़ने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

39. **पुरूष छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या लगभग 400 है, जो समय–समय पर परिवर्तनीय है।**

40. **संलग्न मेन्यू के अनुसार, फर्म अपने लेटर पैड पर भोजन इत्यादि की मासिक दरें (समस्त करों सहित) सील्ड लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करेंगे।**

निविदादाता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
मो0 नं0–

संलग्नक–1

सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की तालिका

दिन	ब्रेकफास्ट	लंच	इवनिंग टी	डिनर
प्रति दिन	150मिली. दूध + 01 टी बैग	रोटी, चावल, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सलाद
सोमवार	पोहा (प्याज, टमाटर, नींबू युक्त) + सूज़ी हलवा	राज़मा + सीजनल सब्जी	प्याज की पकौड़ी	मिक्स दाल, सीजनल सब्जी + फ्रूट क्रीम
मंगलवार	02 केला + 10ग्राम मक्खन 04 स्लाइ ब्रेड के साथ	दाल + सीजनल सब्जी	मठरी	आलू टमाटर, कद्दू, खीर
बुधवार	पूड़ी + आलू की सब्जी	दाल मखानी + सीज़नल सब्जी	बिस्कुट 04 पीस (बटर बाइट)	पनीर + सीजनल सब्जी+मक्खन रोटी
गुरूवार	आलू बण्डा 02 पीस + 04 स्लाइस ब्रेड चटनी सहित	कढ़ी पकौड़ी + आलू जीरा	नमकपारा	आलू कटहल + सीजनल सब्जी
शुक्रवार	मसाला पूड़ी 05 पीस, आलू बेसन के	दाल फ्राई + सीजनल सब्जी	ज़ीरा 02 पीस	छोला भठूरा, रायता, अचार + गुलाब जामुन
शनिवार	आलू की कचौड़ी, रायता, चटनी, अचार	पंचमील दाल + सीजनल सब्जी	समोसा 02 पीस	दाल + सीजनल सब्जी + खीर
रविवार	सांभर बड़ा	तहरी, दही, पापड़, अचार, चटनी	आलू पकौड़ी, चटनी	पनीर / बेबी कॉर्न पालक / अण्डा करी / मिक्स वेज / स्वीट बटर रोटी

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No. CSJMU/AR(P&P)/ 1719(3) /2012 Dated : 09.08.2012

eY; #0 200-00¼nk lk ek=½

efgyk Nk=kokl e e l lpkyu gr fufonk&ii=

विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित **महिला छात्रावास** की मेस को ठेके पर चलाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 22.08.2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक, जिन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में मेस चलाने का अनुभव हो, उनसे मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर **"महिला छात्रावास की मेस संचालन हेतु निविदा"** लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित धनराशि रू0 200/- जमा कर वि0वि0 के कैश काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा पत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 50,000/- मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो कि 'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर' के पक्ष में कानपुर में देय हो, के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार करना संभव नही होगा। अपेक्षित नियम एवं शर्तें निविदा-पत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

निविदा - प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. ट्रेड टैक्स नं0. : वैधता की अवधि :
5. टैन नं0 :
6. खाद्य विभाग का पंजीकरण नं0 : वैधता की अवधि :
6. कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
7. निविदा पत्र कय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
8. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....

   बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
9. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्ते पूर्ण रूप से स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर :
आवेदक का नाम एवं पता :

दूरभाष नं0 :
पैन नं0 :

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

efgyk Nk=kokl e/; मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महिला छात्रावास में मेस संचालन हेतु **रु0 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र)** की धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट ''वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर'' के नाम मान्य होगा। प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. **''केवल वह ही ठेकेदार निविदा में हिस्सा ले सकेंगे जो कि खाद्य विभाग एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा में विचार करना संभव नहीं होगा।''**

3. फर्म को कार्य करने के लिए रु0 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर विश्वविद्यालय एवं ठेकेदार के बीच एक अनुबन्ध कराया जायेगा।

4. फर्म द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित गुणवत्ता के आधार पर खाना देना होगा। ठेकेदार द्वारा मेस कमेटी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ एवं स्वच्छ सामग्रियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी तथा वार्डेन के सुझावों/निर्देशों के अनुसार ठेकेदार सफाई पर विशेष ध्यान देगा तथा इस पर जो व्यय होगा वह फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। संतोषजनक सफाई न होने पर वार्डेन/मेस समिति उचित दण्ड की अनुशंसा करेगी।

5. ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन अप्रयुक्त तथा अवशेष भोजन सामग्री का निस्तारण (डिस्पोजल) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के भुगतान से उचित दण्ड की कटौती की जायेगी।

6. विश्वविद्यालय फर्म को खाना बनाने के लिए रसोई घर के लिए जगह, डाइनिंग हॉल, बिजली एवं पानी की आपूर्ति के साथ उपलब्ध करायेगा। यदि उपलब्ध कराये गयी जगह एवं अन्य किसी सामग्री की टूट–फूट होती है तो वार्डेन की संस्तुति के अनुसार दण्डित की गयी धनराशि की कटौती फर्म को दिये जाने वाले भुगतान से कर ली जायेगी।

7. यदि फर्म पानी अथवा बिजली का दुरूपयोग करता है तो उसको वार्डेन की संस्तुति पर दण्ड के रूप में 5000/– जुर्माना लगाया जायेगा। वह केवल खाना बनाने अथवा कार्य के समय तक ही उक्त का उपयोग करेगा अन्यथा की स्थिति में फर्म द्वारा उसका अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

8. छात्रावास की मेस कमेटी ठेकेदार को भोजन हेतु मेन्यू बनाकर उपलब्ध करायेगी। जोकि प्रायः एक महीने के लिए निर्धारित होगा। किंतु मेस कमेटी को यह अधिकार रहेगा कि यदि वह चाहे तो उससे पहले भी मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। मेन्यू का नमूना साथ में संलग्न है।

9. यह ठेका शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए है, जो अगले सत्र के टेण्डर निर्धारण तक मान्य होगा तथा ठेकेदार को इन्हीं शर्तों पर कार्य करने की बाध्यता होगी।

10. ठेकेदार को सर्व करने हेतु 20 छात्राओं पर कम से कम एक अटेंडेंट/मेस वर्कर रखना होगा। साथ ही मेस के सुचारू से संचालन हेतु एक मेस मैनेजर, एक कुक तथा एक कुक सहायक भी रखना आवश्यक है। **ठेकेदार द्वारा मेस में केवल 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्कर से ही कार्य लिया जायेगा।**

11. ठेकेदार एवं मेस वर्करों का कार्य एवं व्यवहार छात्राओं, वार्डेन एवं सम्बन्धित कर्मचारियों प्रति संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

12. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो एक सप्ताह की नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त करते हुए जमानत के तौर पर जमा सुरक्षा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।

13. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री अस्वच्छ एवं असुरक्षित होने तथा मेस समिति द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप न होने की संस्तुति करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा एक सप्ताह की नोटिस के साथ ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। मेस समिति एवं वार्डेन द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुति अन्तिम एवं मान्य होगी।

14. वार्डेन की अनुमति के बिना किसी छात्रा के कमरे में खाद्य एवं अन्य सामग्री नहीं भेजी जायेगी।

15. ठेकेदार द्वारा रसोई घर एवं खाद्य सामग्री की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा प्रयोग में लाये जाने वाले मसाले अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए एवं साफ, ताजा एवं स्वच्छ खाना ही सर्व किया जायेगा। किसी भी प्रकार का पका हुआ खाना सुरक्षित करके नहीं रखा जायेगा और न ही उसको दोबारा खाने में प्रयोग में लाया जायेगा।

16. यदि ठेकेदार मेस समिति अथवा वार्डेन के निर्देशों/सुझावों को पालन नहीं करता है तो यह नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए ठेकदार को आर्थिक रूप से दण्डित भी जायेगा।

17. ठेकेदार द्वारा रसोई घर में लगाये गये वर्कर एवं कुक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उनका जिला अस्पताल से नियमित रूप से चेक–अप कराया जायेगा। यदि कोई भी वर्कर शारीरिक रूप से अवस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसके स्थान पर कोई अन्य वर्कर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा तुरन्त की जायेगी।

18. ठेकेदार द्वारा मेस के वर्करों को निर्धारित यूनिफार्म दी जायेगी।

19. संलग्न मेन्यू को सीजनल सब्जियों तथा मार्केट में उपलब्धता के दृष्टिगत मेस समिति एवं वार्डेन ठेकेदार के साथ बातचीत कर परिवर्तित किया जा सकता है।

20. छात्रावास में चाय/स्वल्पहार/भोजन आदि देने का समय निम्नवत् होगा :–

Break Fast	07:30 am to 9:30 am
Lunch	12:30 pm to 2:30 pm
Evening Tea	05:00 pm to 6:00 pm
Dinner	07:30 pm to 09:00 pm

यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समय सारिणी को परिवर्तित करना पड़ा तो उक्त परिवर्तन मेस समिति एवं वार्डेन के सुझाव के अनुसार होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।

21. छात्रावास में बीमार पड़ने वाली छात्रा के लिए मेस ठेकेदार ''सिक डाइट'' उनके कक्ष में उपलब्ध करायेंगे। यदि बीमार छात्रा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती है तो भोजन स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाना भी ठेकेदार का दायित्व होगा, जिसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। 'सिक डाइट' मेस समिति/चिकित्सक/वार्डेन के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

22. ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय में एक मुस्त मासिक भुगतान के लिए पत्रावली व्यवहरित की जायेगी, जो कि मेस समिति तथा वार्डेन द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत होनी चाहिए।

23. प्रति छात्रा हेतु भोजन व्यवस्था से सम्बन्धित प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत यूटिलिटी चार्ज के रूप में मेस ठेकेदार के देयक से कटौती की जायेगी।

24. प्रत्येक भोजन के बाद मेस एवं बर्तन को गर्म पानी तथा डिटर्जेन्ट/साबुन से साफ करना अनिवार्य होगा।

25. **मेस का भुगतान स्टूडेंट की वास्तविक पंजीकृत संख्या के 90 प्रतिशत छात्रों को आधार मानकर प्रत्येक माह की समाप्ति पर किया जायेगा। सत्रान्त पर एक माह का अवकाश रहेगा, जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा।**

26. ठेकेदार को अपने द्वारा लगाये गये समस्त कर्मचारियों/मेस वर्करों का विवरण फोटोग्राफ सहित वार्डेन तथा छात्रावास के आफिस मे भी जमा करना होगा।

27. यदि ठेकेदार द्वारा लगाये गये किसी भी मेस वर्कर/कर्मचारी के साथ दुर्घटना के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे प्रकरण में छात्रावास तथा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

28. मेसे में फूड प्वाइजनिंग सम्बन्धी कोई भी घटना घटती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा मेडिकल ट्रीटमेंट में हुआ खर्च सम्बन्धित मेस ठेकेदार से वसूला जायेगा साथ ही ऐसी घटना हेतु मेस समिति/काउन्सिल ऑफ वार्डेन द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना किया जायेगा।

29. ठेकेदार ऐसे कर्मचारी को कार्य करने हेतु नहीं रखेगा जिसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसके विरूद्ध कोई भी पुलिस केस चल रहा हो।

30. मेस में शराब या कोई भी मादक पदार्थ पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा।

31. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम विभाग/शासन के नियमों का पालन करना होगा। यदि उक्त हेतु कोई भी आपत्ति श्रम विभाग/शासन से उठायी जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

32. नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु ठेकेदार को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

33. विश्वविद्यालय को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी निविदा अथवा निविदाओं को बिना किसी कारण के किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

34. किसी भी दशा में उक्त ठेका किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

35. प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री ब्रॉण्डेड एवं गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसमें कुछ निम्नलिखित है :–

(1) मक्खन (अमूल / मदर डेरी / पराग)।

(2) जैम (किसान / टॉप्स / सफल)।

(3) रिफाइन्ड तेल (धारा / सनड्रॉप / डालडा और अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों)

(4) चावल अच्छी गुणवत्ता वाला बासमती जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(5) गेहूं का आटा जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(6) कॉफी (नेसकैफे / ब्रू)।

(7) चाय ब्राण्डेड होनी चाहिए जो कि मेस समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(8) केचअप तथा अचार (टॉप्स / किसान)।

(9) दूध (पराग / अमूल / नमस्ते इण्डिया)

(10) आयोडीनयुक्त नमक तथा मसाला (एम0डी0एच0 / गोल्डी / एवरेस्ट)।

(11) बेसन (राजधानी / शक्तिभोग) तथा अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों।

(12) यदि उपर्युक्त दिये गये ब्राण्ड समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उसकी जगह कौन सा ब्राण्ड प्रयोग में लाया जायेगा यह मेस समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

36. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संदर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

37. किसी भी वाद / विवाद की स्थिति में कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

38. ठेके पर निर्धारित समय के मध्य विचलन / छोड़ने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

39. **चार महिला छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं की संख्या लगभग 400 है, जो समय–समय पर परिर्वनीय है। जिनके लिए तीन रसोई में अलग–अलग खाना तैयार करना अनिवार्य है।**

40. **संलग्न मेन्यू के अनुसार, फर्म अपने लेटर पैड पर भोजन इत्यादि की मासिक दरें (समस्त करों सहित) सील्ड लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करेंगे।**

निविदादाता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
मो0 नं0–

संलग्नक–1

सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की तालिका

दिन	ब्रेकफास्ट	लंच	इवनिंग टी	डिनर
प्रति दिन	150मिली. दूध + 01 टी बैग	रोटी, चावल, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सलाद
सोमवार	पोहा (प्याज, टमाटर, नींबू युक्त) + सूज़ी हलवा	राज़मा + सीजनल सब्जी	प्याज की पकौड़ी	मिक्स दाल, सीजनल सब्जी + फ्रूट क्रीम
मंगलवार	02 केला + 10ग्राम मक्खन 04 स्लाइ ब्रेड के साथ	दाल + सीजनल सब्जी	मठरी	आलू टमाटर, कद्दू, खीर
बुधवार	पूड़ी + आलू की सब्जी	दाल मखानी + सीज़नल सब्जी	बिस्कुट 04 पीस (बटर बाइट)	पनीर + सीजनल सब्जी+मक्खन रोटी
गुरूवार	आलू बण्डा 02 पीस + 04 स्लाइस ब्रेड चटनी सहित	कढ़ी पकौड़ी + आलू जीरा	नमकपारा	आलू कटहल + सीजनल सब्जी
शुक्रवार	मसाला पूड़ी 05 पीस, आलू बेसन के	दाल फ्राई + सीजनल सब्जी	ज़ीरा 02 पीस	छोला भठूरा, रायता, अचार + गुलाब जामुन
शनिवार	आलू की कचौड़ी, रायता, चटनी, अचार	पंचमील दाल + सीजनल सब्जी	समोसा 02 पीस	दाल + सीजनल सब्जी + खीर
रविवार	सांभर बड़ा	तहरी, दही, पापड़, अचार, चटनी	आलू पकौड़ी, चटनी	पनीर/बेबी कॉर्न पालक/अण्डा करी /मिक्स वेज/ स्वीट बटर रोटी